अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 2 फरवरी, 2017.

सं0 04/2017-सीमाशुल्क

सा.का.नि. (अ) – केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2,खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. 194(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित हुई थी में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(i) प्रारंभिक पैरा में, प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह कि इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी 30 जून, 2017 के पश्चात् सारणी के क्रम सं0 14ज, 14झ, 85ख के सामने विनिर्दिष्ट माल को लागू नहीं होंगे ;"

(ii) सारणी में,--

(क) क्रम सं0 1 के सामने, स्तंभ (3) में, "टेबलेट कंप्यूटर," शब्दों के स्थान पर, "मोबाइल फोन या टेबलेट कंप्यूटर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम सं0 14छ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
"14ज.	3815 90 00,	वायु प्रचालित वैद्युत जनित्र के ढले घटकों के विनिर्माण के लिए उत्प्रेरक : परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध शर्त सं0 46 के अध्यधीन होगी ।	कुछ नहीं
14झ.	3909 40 90	वायु प्रचालित वैद्युत जनित्र के ढले घटकों के विनिर्माण के लिए रेजिन : परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट भारत सरकार, वित्त	कुछ नहीं";

		मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध शर्त सं0 46 के अध्यधीन होगी ।	

(ग) क्रम सं0 85क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
"85ख.	8517 70	मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए प्रणोदित मुद्रित सर्किट बोर्ड (मु.प.बो.) : परन्तु आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क योग्य मालों के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दरों पर माल का आयात) नियम, 2016 में दी गई प्रक्रिया का पालन करेगा ।	2%"।

[फा0सं0 334/7/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 21/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 सा.का.नि. 194(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग (2) खंड (3) उपखंड (i) में प्रकाशित की गई और अधिसूचना सं0 31/2016-सीमाशुल्क, तारीख 5 मई, 2016, सा.का.नि. 486(अ), तारीख 5 मई, 2016 को अंतिम बार संशोधित की गई थी ।